

प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी का क्रमिक परिपत्र सं. 85/2019

पूर्व रेलवे
महाप्रबंधक (राजभाषा) कार्यालय
17, नेताजी सुभाष रोड
कोलकाता - 700 001

संख्या-ई.850/हिंदी-2/2.13

दिनांक 17.05.2019

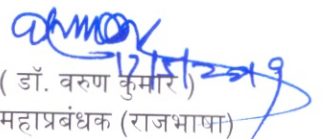
मंडल रेल प्रबंधक – हावड़ा / सियालदह / आसनसोल / मालदा
मुख्य कारखाना प्रबंधक – लिलुआ / कांचरापाड़ा / जमालपुर / सिगनल कारखाना हावड़ा
उप मुख्य सामग्री प्रबंधक – लिलुआ / हालिशहर / जमालपुर
वरिष्ठ सामग्री प्रबंधक / हावड़ा
अध्यक्ष, रेल भर्ती बोर्ड – कोलकाता / मालदा
रेल दावा अधिकरण / कोलकाता
प्राचार्य, तकनीकी विद्यालय / भूली, धनबाद ।

विषय : मानदेय के आधार पर मैनुअलों /संहिताओं/ नियम पुस्तकों/ तकनीकी साहित्य
आदि का हिंदी - अंग्रेजी अनुवाद।

संदर्भ : रेलवे बोर्ड का पत्र सं हिंदी/2012/ वि.1/9/1 दिनांक 04.04.2019.

उपर्युक्त विषय पर रेलवे बोर्ड के दिनांक 04.04.2019 के पत्र सं. हिंदी/2012/ वि.1/9/1 की प्रतिलिपि
(प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी के क्रमिक परिपत्र सं 85/19) सूचना, मार्गदर्शन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु परिपत्रित
की जाती है।

संलग्न: यथोक्त


(डॉ. वरुण कुमार)
उप महाप्रबंधक (राजभाषा)
कृते मुख्य राजभाषा अधिकारी

Central Registry / E. Rly
Date of Receipt
Serial No. 29/1/19

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

Allocated PCPO's SL No-85/19

सं. हिंदी/2012/वि.1/9/1

नई दिल्ली, दिनांक 04.04.2019

महाप्रबंधक (राजभाषा),

सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां

विषय: मानदेय के आधार पर मैनुअलों/संहिताओं/नियम पुस्तकों/ नियमों/तकनीकी साहित्य आदि का हिंदी-अंग्रेजी अनुवाद.

उपर्युक्त विषय पर कृपया बोर्ड के दिनांक 03.02.2012 के समसंख्यक पत्र का अवलोकन करें जिसमें रेलवे के मैनुअलों, संहिताओं, नियम पुस्तकों, नियमों(जिनमें स्टेशन संचालन नियम भी शामिल हैं) तथा तकनीकी साहित्य आदि के अनुवाद, परिशोधन और टंकण के लिए मानदेय की दरें निर्धारित की गई थी.

रेलवे बोर्ड के वित्त निदेशालय ने मैनुअलों, संहिताओं, नियम पुस्तकों, नियमों(जिनमें स्टेशन संचालन नियम भी शामिल हैं), तकनीकी साहित्य तथा सभी प्रकार के दस्तावेजों के अनुवाद, परिशोधन और टंकण के लिए पूर्व दरों में संशोधन करते हुए निम्नलिखित दरें निर्धारित की हैं:-

अनुवाद के लिए : 90/-रु. प्रति पृष्ठ (300 शब्द)

अनुवाद के परिशोधन के लिए : 36/-रु. प्रति पृष्ठ (300 शब्द)

टंकण के लिए : 24/-रु. प्रति पृष्ठ (300 शब्द)

2. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि किसी रेल अधिकारी/कर्मचारी द्वारा किया गया अनुवाद इस कोटि का हो कि उसके परिशोधन की आवश्यकता न हो और अनुवादकर्ता इस आशय का प्रमाण-पत्र भी दे तथा सक्षम प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हो कि अनुवाद के परिशोधन की आवश्यकता नहीं है और अनुवाद की टाइपिंग भी की गई हो तो अनुवादकर्ता को 150/-रु. प्रति पृष्ठ (300 शब्द) की दर से मानदेय मंजूर किया जा सकता है.

3. जब किसी रेलवे/रेल कार्यालय को कोई अनुवाद कार्य मानदेय के आधार पर कराने की आवश्यकता पड़े तो उस रेलवे/रेल कार्यालय को उसके अपने वित्त की सहमति प्राप्त करनी जरूरी है.

4. उपर्युक्त दरें मैनुअल/संहिताओं/नियम पुस्तकों/नियमों/तकनीकी साहित्य तथा सभी प्रकार के दस्तावेजों के अनुवाद के लिए निर्धारित की गई हैं.

5. मानदेय की ये संशोधित दरें इस पत्र के जारी होने की तारीख से लागू मानी जाएंगी.

6. यह पत्र रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है.

15

(सुधीर कुमार शर्मा)

उप निदेशक, राजभाषा

रेलवे बोर्ड